**संख्या-217/2019/2510/22-2-2019-17(747)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद (अयोध्या) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री तिलकराम, निवासी जनपद-अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक दिनांक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या (फैजाबाद) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री तिलकराम, जो ग्रा0-लालदास का पुरवा, मौजा-पाराखाना, थाना-कोतवाली-अयोध्या, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 24/25.11.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा से मारकर 01 महिला व 02 बच्चों का घायल किया एवं 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को गैंगेस्टर वाद संख्या-152/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3(1)यू0पी0जी एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (न्याय कक्ष सं0-3), फैजाबाद के आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.09.2018 तक 10 वर्ष 05 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 01 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है किन्तु पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-7498/2016) पुत्र श्री तिलकराम, निवासी जनपद-अयोध्या की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-217/2019/2510(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in